न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 268/2019

वादपत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

258

1. ओमप्रकाश पुत्र जगमालराम
2. साहबराम पुत्र जगमालराम
3. रामप्यारी पत्नी ओमप्रकाश
4. सावित्री देवी पत्नी साहबराम

जाति समस्त जाट सकनाऐं नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र जगमालराम
2. कमलेश पुत्र जगमालराम
3. विमला पुत्री जगमालराम

जाति समस्त जाट सकनाऐं नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

4. 4/1 अमृतपाल पुत्र लाभसिंह
   4/2 बिन्दूकौर पुत्री लाभसिंह
   4/3 किरणाकौर पुत्री लाभसिंह
   4/4 अक्कीकौर पुत्री लाभसिंह
5. गुरतेज सिंह पुत्र ईशरसिंह
6. शीशोकौर पुत्री ईशरसिंह
7. 7/1 जसकरणसिंह पुत्र जसमेलकौर पत्नी नक्षत्रसिंह
   7/2 बलकरणसिंह पुत्र जसमेलकौर पत्नी नक्षत्रसिंह
8. गुडी पुत्री नक्षत्रसिंह
9. माडो पुत्री नक्षत्रसिंह
10. 10/1 मनीकौर पुत्री स्व. चरणजीतकौर पुत्री नक्षत्रसिंह
    10/2 गुलताजकौर पुत्री स्व. चरणजीतकौर पुत्री नक्षत्रसिंह
11. रानी पुत्री नक्षत्रसिंह
12. 12/1 मनप्रीतकौर पुत्री स्व. बन्सी पुत्री नक्षत्रसिंह
    12/2 मनजीतकौर पुत्री स्व. बन्सी पुत्री नक्षत्रसिंह
    12/3 राजदीपकौर पुत्री स्व. बन्सी पुत्री नक्षत्रसिंह
13. जसवीर कौर पत्नी अजायब सिंह (विलोपित)
14. जसकरणसिंह पुत्र अजायब सिंह
15. बलकरण सिंह पुत्र अजायब सिंह
16. निकासिंह पुत्र कहेर सिंह
17. 17/1 जगराजसिंह पुत्र स्व. हरनामसिंह पुत्र कहेरसिंह
    17/2 सुखदेवसिंह पुत्र स्व. हरनामसिंह पुत्र कहेरसिंह
18. 18/1 लखपतसिंह पुत्र भूरासिंह पुत्र कहेरसिंह
    18/2 जसवीरसिंह पुत्र भूरासिंह पुत्र कहेरसिंह
    18/3 गुडी पुत्री भूरासिंह पुत्र कहेरसिंह
    18/4 गावीकौर पुत्री भूरासिंह पुत्र कहेरसिंह
19. 19/1 जगरूपसिंह पुत्र अर्जनसिंह पुत्र कहेरसिंह
    19/2 किशनसिंह पुत्र अर्जनसिंह पुत्र कहेरसिंह
20. जगजीत सिंह पुत्र भानसिंह
21. गुरतेज सिंह पुत्र भानसिंह
22. श्रीराम पुत्र पूरन
23. बन्ताराम पुत्र पूरन

जाति समस्त जटसिख साकिन शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

259

24. हेतराम पुत्र पूरन
25. बलराम पुत्र पूरन
26. कलावती पुत्री पूरन
27. मीज पुत्री पूरन
28. फुमन सिंह पुत्र साहबसिंह
29. 29/1 नायबसिंह पुत्र स्व. जोगेन्द्रसिंह पुत्र नथमलसिंह
    29/2 नाजरसिंह पुत्र स्व. जोगेन्द्रसिंह पुत्र नथमलसिंह
    29/3 कालासिंह पुत्र स्व. जोगेन्द्रसिंह पुत्र नथमलसिंह
30. 30/1 मेजरसिंह पुत्र स्व. दर्शनसिंह पुत्र नथमलसिंह
    30/2 जालोरसिंह पुत्र स्व. दर्शनसिंह पुत्र नथमलसिंह
    30/3 मंहगासिंह पुत्र स्व. दर्शनसिंह पुत्र नथमलसिंह
31. 31/1/1 जगसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह पुत्र स्व. कर्मसिंह पुत्र बजीरसिंह
    31/1/2 टहलसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह पुत्र स्व. कर्मसिंह पुत्र बजीरसिंह
    31/1/3 गुरदीपसिंह पुत्र जगराजसिंह पुत्र करतारसिंह पुत्र स्व. मुखत्यारसिंह पुत्र स्व. कर्मसिंह पुत्र बजीरसिंह
    31/1/4 गुरजन्टसिंह पुत्र जगराजसिंह पुत्र करतारसिंह पुत्र स्व. मुखत्यारसिंह पुत्र स्व. कर्मसिंह पुत्र बजीरसिंह
    31/1/5 सागरसिंह पुत्र सुखमन्दरसिंह पुत्र करतारसिंह पुत्र स्व. मुखत्यारसिंह पुत्र स्व. कर्मसिंह पुत्र बजीरसिंह
32. 32/1 जगरसिंह पुत्र गुरदयासिंह पुत्र स्व. निकासिंह पुत्र बजीरसिंह
    32/2 वकीलसिंह पुत्र गुरदयालसिंह पुत्र स्व. निकासिंह पुत्र बजीरसिंह
    32/3 भोलासिंह पुत्र गुरदयालसिंह पुत्र स्व. निकासिंह पुत्र बजीरसिंह
33. अमरसिंह पुत्र बजीर सिंह
34. 34/1 जसकरणसिंह पुत्र हरबंशकौर पत्नी हरनेकसिंह
    34/2 बलकरणसिंह पुत्र हरबंशकौर पत्नी हरनेकसिंह
    34/3 जगदेवसिंह पुत्र हरबंशकौर पत्नी हरनेकसिंह

जाति समस्त जटसिख साकिन शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

35. भारतीय स्टेट बैक (एडीबी) शाखा हनुमानगढ जरिये शाखा प्रबन्धक
36. स्टेट बैक ऑफ पटियाला शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक
37. ओ.बी.सी. बैक शाखा नगराना जरिये शाखा प्रबन्धक
38. भारतीय स्टेट बैक शाखा लीलावाली जरिये शाखा प्रबन्धक
39. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
1. श्री प्रदीप जाखड़ —वकील वादीगण
2. श्रीमती परमजीत कौर—वकील प्रति.सं. 1,2,3
3. श्री सुनील टाण्डी—वकील प्रति.सं.34/1,34/2
4. श्री रविन्द्र भोबिया—वकील प्रति.सं. 37

वादीगण ओमप्रकाश वगैरा ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 39 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता तकसीम के तहत दिनांक [illegible] को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से तहसील संगरिया [illegible] भूमि राजस्व रिकॉर्ड है, कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :—

चक नं.	खाता संख्या	रकबा
16 एम.के.एस.	65/13	5.545 है.
16 एम.के.एस.	192/183	2.026 है.
6 एन.जी.आर.	141/143	2.530 है.
6 एन.जी.आर.	142/141	3.795 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित चक नं. 6 एन.जी.आर. कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जो वादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता जगमालराम से विरासतन में प्राप्त हुई थी इसलिए उक्त कृषि भूमि में वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का जन्मजात विरासतन हक व हिस्सा बनता है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी मध्य घरू बंटवारानामा आज से करीब काफी अरसा पूर्व कर लिया था, वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी काश्त की सुविधा के अनुसार अपना खाता अलग करवाना चाहते है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम सांझा खाता में दर्ज होने के कारण वादीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पडता है, जिस कारण परिवार के रिश्तेदार व भाईयों द्वारा पंचायत कर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य बंटवारा करवा दिया था तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 का चक नं. 6 एन.जी.आर. के खाता सं. 142/141 की कृषि भूमि में जो भी विरासतन हक व हिस्सा बनता था, उसका हक त्याग मौखिक रूप से वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 के अपने सगे भाईयों के पक्ष में ब.हिब. कर दिया है। वादीगण उक्त बंटवारानामा के रोज से ही अपने बंटवारानामा में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त बंटवारानामा में वादीगण को निम्न प्रकार से कृषि भूमि कब्जा काश्त में प्राप्त हुई थी, जिस पर वे बंटवारा के रोज से ही वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

वादी सं. 1 ओमप्रकाश वादी सं. 2 साहबराम को निम्नलिखित कृषि भूमि ब.हि.ब. हक वा हिस्सा में आई :– चक नं. 16 एम.के.एस.

खाता सं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
192/183	172/226	35	10,11,20,21./0.912है., गै.मु. 0.100 है.
192/183	171/227	41	4/0.228, 7/0.253, 0.025 है.गै.मु.
65/13	171/227	41	13ता18/1.518,23ता24/0.759 है.
65/13	171/229	71	2/0.202, 3/0.203, 8/0.177, 9/0.177, 15/0.253 है.
65/13	171/228	64	3,4/0.456, 0.050 है. 7,8,13,14/1.012

चक नं. 6 एन.जी.आर.

खाता सं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
141/143	171/226	88	4,5,7,14,17,24/1.518 है.
141/143	170/226	89	4/0.253
142/141	170/225	86	8,9,12,13,18,1922,23/2.024 है.

वादी सं. 3 रामप्यारी वादी सं. 4 सावित्री हक वा हिस्सा की कृषि भूमि ब.हि.ब.

चक नं. 16 एम.के.एस.

खाता सं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
192/183	171/227	41	15,16/0.506 है.

वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आ[illegible] में सीव बट एवं रकमराज व पानी बारी को लेकर सदैव झगडा बना रहता है, इस कारण वादीगण [illegible] खाता सांझा नही रखना चाहते है, अतः घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त के मुताबिक अपना [illegible] कर रकम राज अलग से कायम करवाने के एक मुस[illegible] प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है अ[illegible] के मुताबिक अलग नही किया गया तो वादीगण [illegible] का खाता [illegible] नुकसान होगा जिसकों धन के रूप में नही आंका जा सकता। वादी सं. 3 व 4 च[illegible] 16 एम.के.एस. ने जरिये बैयनामा कृषि भूमि खरीद की थी जिसकी रूह से वादीगण खातेदार काश्तकार है और उक्त कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:15 IST
Reason: SelfAttested

सहा. कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित चक नं. 6 एन.जी.आर. कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जो वादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता जगमालराम से विरासतन में प्राप्त हुई थी इसलिए उक्त कृषि भूमि में वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का जन्मजात विरासतन हक व हिस्सा बनता है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी मध्य घरू बंटवारानामा आज से करीब काफी अरसा पूर्व कर लिया था, वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी काश्त की सुविधा के अनुसार अपना खाता अलग करवाना चाहते है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम सांझा खाता में दर्ज होने के कारण वादीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पडता है, जिस कारण परिवार के रिश्तेदार व भाईयों द्वारा पंचायत कर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य बंटवारा करवा दिया था तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 का चक नं. 6 एन.जी.आर. के खाता सं. 142/141 की कृषि भूमि में जो भी विरासतन हक व हिस्सा बनता था, उसका हक त्याग मौखिक रूप से वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 के अपने सगे भाईयों के पक्ष में ब.हिब. कर दिया है। वादीगण उक्त बंटवारानामा के रोज से ही अपने बंटवारानामा में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त बंटवारानामा में वादीगण को निम्न प्रकार से कृषि भूमि कब्जा काश्त में प्राप्त हुई थी, जिस पर वे बंटवारा के रोज से ही वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

वादी सं. 1 ओमप्रकाश वादी सं. 2 साहबराम को निम्नलिखित कृषि भूमि ब.हि.ब. हक वा हिस्सा में आई :– चक नं. 16 एम.के.एस.

खाता सं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
192/183	172/226	35	10,11,20,21,/0.912है., गै.मु. 0.100 है.
192/183	171/227	41	4/0.228, 7/0.253, 0.025 है.गै.मु.
65/13	171/227	41	13ता18/1.518,23ता24/0.759 है.
65/13	171/229	71	2/0.202, 3/0.203, 8/0.177, 9/0.177, 15/0.253 है.
65/13	171/228	64	3,4/0.456, 0.050 है. 7,8,13,14/1.012

चक नं. 6 एन.जी.आर.

खाता सं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
141/143	171/226	88	4,5,7,14,17,24/1.518 है.
141/143	170/226	89	4/0.253
142/141	170/225	86	8,9,12,13,18,1922,23/2.024 है.

वादी सं. 3 रामप्यारी वादी सं. 4 सावित्री हक वा हिस्सा की कृषि भूमि ब.हि.ब.

चक नं. 16 एम.के.एस.

खाता सं.	पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
192/183	171/227	41	[illegible]/0.506 है

वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में सीव बट[illegible] रक[illegible]ज व पानी बारी को लेकर सदैव झगडा बना रहता है, इस कारण वादीगण अब अपना [illegible] रखना चाहते है, अतः घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त के मुताबिक अपना [illegible] तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाने के एक मुस्त हक व दावेदार [illegible]थम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है अगर वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 3 के मुताबिक अलग नही किया गया तो वादीगण को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकों धन के रूप में नही आंका जा सकता। वादी सं. 3 व 4 चक नं. 16 एम.के.एस. ने जरिये बैयनामा कृषि भूमि खरीद की थी जिसकी रूह से वादीगण खातेदार काश्तकार है और उक्त कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:15 IST
Reason: SelfAttested

सहा. क. कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

261

भूमि पर वादी सं. 3 व 4 बैयनामा की रोज से उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते चले आ रहे है। उसी के अनुसार अपना खाता अलग करवाना चाहते है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से वादपत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खाता विभाजन करवाकर अलग से कायम करवा देने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे परन्तु पिछले सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सींगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 01 नियम 10(2) सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 13 जसवीर कौर फौत हो चुकी है, जिनके जायज वारिसान प्रतिवादी सं. 14,15 वादपत्र में बतौर पक्षकार पूर्व से ही संयोजित है इसलिए प्रतिवादी सं. 13 का नाम विलोपित किया जावे। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अं. आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण सं. 4,7,10,12,13,16,17,18,19,29,30,31,31/1,32,34 की तलबी के दौरान तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार फौत हो चुके है इसलिए इनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर वादपत्र में बतौर पक्षकार लाल स्याही से अंकन किया जावे। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रतिवादी ने कोई आपत्ति नही जताने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बतौर प्रतिवादी पक्षकार लाल स्याही से अंकन की अनुमति दी गई। संशोधित वाद शीर्षक पेश हुआ। अभिभाषक वादी ने प्रार्थनापत्र अ0 आदेश 8 नियम 01 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 5,6,8,9,11,14 ता 16 व 23 ता 28,33,35 ता 36 को जरिये सम्मन तामिल हो चुकी है किन्तु आर्डरशीट में सहवन से अंकन नही हो पाया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण सं. 4/1 ता 4/4, 6 ता 12, 17/1 ता 17/2, 18/2 ता 18/4, 19/2, 22 ता 28, 30/2, 31/1/1, 31/1/4, 31/1/5, 33, 34/2, 34/3, 35, 36 की तलब जरिये रजि. डाक से कराई गई थी, जिस पर अधूरा पता की रिपोर्ट आई है इसलिए इनकी तलबी दैनिक सामाचार पत्र से करवाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश हुआ, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, उक्त प्रतिवादीगण को न्यायालय में बार–बार आवाजे लगाई गई, इसके बावजूद न्यायालय में हाजिर नही आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई। प्रतिवादी सं. 5,14,15,18/1,19/1,29/1 ता 29/3, 30/1, 30/3, 31/2, 31/3, 32/1 ता 32/3, 34/1, 37 की तलबी रजि. एडी. से करवाई गई, बार–बार आवाजे लगाई गई, इसके बावजूद हाजिर नही आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 1,2,3 की ओर से जरिये अभिभाषक जवाबदावा पेश हुआ। प्रति.सं. 34/1, 34/2 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। अभिभाषक वादी जवाब उल जवाब पेश नही करना चाहते है इसलिए जवाब उल जवाब बन्द किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 6 नियम 17 पेश कर जवाबदावा संशोधन पेश किया। प्रतिवादी सं. 37 ने जरिये अधिवक्ता [illegible] पेश कर बैक हित ध्यान में रखने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. [illegible] न्यायहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की। साक्ष्य के तौर पर [illegible] स्टेट [illegible] के पास खाता सं. 65/13, चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. [illegible]/183 [illegible] जमाबन्दी चक [illegible] चक नं. 6 एन.जी.आर. खाता सं. 141/143 चक नं. 6 एन.जी.आर. खाता [illegible]/141 ज.सं. 2068–71 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश हुई। साक्ष्य वादी में वादी ओमप्रकाश का शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

भूमि पर वादी सं. 3 व 4 बैयनामा की रोज से उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते चले आ रहे है। उसी के अनुसार अपना खाता अलग करवाना चाहते है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से वादपत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खाता विभाजन करवाकर अलग से कायम करवा देने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे परन्तु पिछले सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सींगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 01 नियम 10(2) सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 13 जसवीर कौर फौत हो चुकी है, जिनके जायज वारिसान प्रतिवादी सं. 14,15 वादपत्र में बतौर पक्षकार पूर्व से ही संयोजित है इसलिए प्रतिवादी सं. 13 का नाम विलोपित किया जावे। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अं. आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण सं. 4,7,10,12,13,16,17,18,19,29,30,31,31/1,32,34 की तलबी के दौरान तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार फौत हो चुके है इसलिए इनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर वादपत्र में बतौर पक्षकार लाल स्याही से अंकन किया जावे। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रतिवादी ने कोई आपत्ति नही जताने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बतौर प्रतिवादी पक्षकार लाल स्याही से अंकन की अनुमति दी गई। संशोधित वाद शीर्षक पेश हुआ। अभिभाषक वादी ने प्रार्थनापत्र अ0 आदेश 8 नियम 01 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 5,6,8,9,11,14 ता 16 व 23 ता 28,33,35 ता 36 को जरिये सम्मन तामिल हो चुकी है किन्तु आर्डरशीट में सहवन से अंकन नही हो पाया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण सं. 4/1 ता 4/4, 6 ता 12, 17/1 ता 17/2, 18/2 ता 18/4, 19/2, 22 ता 28, 30/2, 31/1/1, 31/1/4, 31/1/5, 33, 34/2, 34/3, 35, 36 की तलब जरिये रजि. डाक से कराई गई थी, जिस पर अधूरा पता की रिपोर्ट आई है इसलिए इनकी तलबी दैनिक सामाचार पत्र से करवाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश हुआ, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, उक्त प्रतिवादीगण को न्यायालय में बार–बार आवाजे लगाई गई, इसके बावजूद न्यायालय में हाजिर नही आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई। प्रतिवादी सं. 5,14,15,18/1,19/1,29/1 ता 29/3, 30/1, 30/3, 31/2, 31/3, 32/1 ता 32/3, 34/1, 37 की तलबी रजि. एडी. से करवाई गई, बार–बार आवाजे लगाई गई, इसके बावजूद हाजिर नही आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 1,2,3 की ओर से जरिये अभिभाषक जवाबदावा पेश हुआ। प्रति.सं. 34/1, 34/2 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। अभिभाषक वादी जवाब उल जवाब पेश नही करना चाहते है इसलिए जवाब उल जवाब बन्द किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 6 [illegible] पेश कर जवाबदावा संशोधन पेश किया। प्रतिवादी सं. 37 ने जरिये अधिवक्ता जवाब [illegible] क हित ध्यान में रखने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 39 [illegible] जवाब [illegible] ोट पेश कर [illegible] को [illegible] रखने की ईस्तदुआ की। साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी [illegible] के.एस. खाता सं. 65/13, चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 192/183 ज.सं. 2070–73 [illegible] नं. 6 एन.जी.आर. खाता सं. 141/143 चक नं. 6 एन.जी.आर. खाता सं. 142/141 जं.सं. 2068–71 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश हुई। साक्ष्य वादी में वादी ओमप्रकाश का शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर से जमाबन्दी चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 65/13, चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 192/183 जं.सं. 2070–73 चक नं. 6 एन.जी.आर. खाता सं. 141/143 चक नं. 6 एन.जी.आर. खाता सं. 142/141 जं.सं. 2068–71 पेश हुई। बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1,2,3 की ओर से स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश हुआ। प्रति.सं. 34/1, 34/2 की ओर से जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश हुआ। चक नं. 6 एन.जी.आर. कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जो वादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता जगमालराम से विरासतन में प्राप्त हुई थी इसलिए उक्त कृषि भूमि में वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का जन्मजात विरासतन हक व हिस्सा बनता है। वकील वादी द्वारा खातेदारी कृषि भूमि में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रश्नगत भूमि सांझा खाता की है तथा वादी व प्रतिवादीगण द्वारा घरू बंटवारा होना बताया है किन्तु घरू विभाजन में प्राप्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त व हक–हिस्सा की स्थिति को किसी सक्ष्म साक्ष्य से साबित नही किया गया है तथा अन्य सह काश्तकार जो उपस्थित नही आये है उनका मत भी न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नही होने से वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

न्यायालय के मत में वाद वादी मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 34/1, 34/2 प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित है। अपविवादित खाता होने से समस्त सह काश्तकारों का खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से मंगवाया जावे।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि वाद वादी मय काउण्टर क्लेम प्रति.सं. 34/1, 34/2 प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी समस्त सह काश्तकारों का खाता विभाजन प्रस्ताव समस्त जमाबन्दीयां तहसील संगरिया के चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 65/13, चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 192/183 जं.सं. 2070–73 चक नं. 6 एन.जी.आर. खाता सं. 141/143 चक नं. 6 एन.जी.आर. खाता सं. 142/141 जं. सं. 2068–71 के समस्त सह–काश्तकारो के हक–हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) एवं माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी मंदी, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्त सह काश्तकारों विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा गिरदावर व स्वयं ... कर अपनी अनुशंषा सहित रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार (राजस्व) ... हो। प्राथमिक पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2024 को ... जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:15 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर से जमाबन्दी चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 65/13, चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 192/183 जं.सं. 2070–73 चक नं. 6 एन.जी.आर. खाता सं. 141/143 चक नं. 6 एन.जी.आर. खाता सं. 142/141 जं.सं. 2068–71 पेश हुई। बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1,2,3 की ओर से स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश हुआ। प्रति.सं. 34/1, 34/2 की ओर से जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश हुआ। चक नं. 6 एन.जी.आर. कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जो वादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता जगमालराम से विरासतन में प्राप्त हुई थी इसलिए उक्त कृषि भूमि में वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का जन्मजात विरासतन हक व हिस्सा बनता है। वकील वादी द्वारा खातेदारी कृषि भूमि में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रश्नगत भूमि सांझा खाता की है तथा वादी व प्रतिवादीगण द्वारा घरू बंटवारा होना बताया है किन्तु घरू विभाजन में प्राप्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त व हक–हिस्सा की स्थिति को किसी सक्ष्म साक्ष्य से साबित नही किया गया है तथा अन्य सह काश्तकार जो उपस्थित नही आये है उनका मत भी न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नही होने से वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

न्यायालय के मत में वाद वादी मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 34/1, 34/2 प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित है। अपविवादित खाता होने से समस्त सह काश्तकारों का खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से मंगवाया जावे।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि वाद वादी मय काउण्टर क्लेम प्रति.सं. 34/1, 34/2 प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी समस्त सह काश्तकारों का खाता विभाजन प्रस्ताव समस्त जमाबन्दीयां तहसील संगरिया के चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 65/13, चक नं. 16 एम.के.एस. खाता सं. 192/183 जं.सं. 2070–73 चक नं. 6 एन.जी.आर. खाता सं. 141/143 चक नं. 6 एन.जी.आर. खाता सं. 142/141 जं. सं. 2068–71 के समस्त सह–काश्तकारो के हक–हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) एवं माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी मंदी, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में [illegible] समस्त सह काश्तकारों विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा गिरदावर [illegible] क्षेत्रि[illegible] कर अपनी अनुशंसा सहित रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को पत्र [illegible] प्राथमिक पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.24 को मेरे द्वारा लि[illegible]या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:15 IST
Reason: SelfAttested

(263)

(प्रपत्र–5)

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 268 / 2019

1. ओमप्रकाश पुत्र जगमालराम
2. साहबराम पुत्र जगमालराम
3. रामप्यारी पत्नी ओमप्रकाश
4. सावित्री देवी पत्नी साहबराम

} जाति समस्त जाट साकनाऐं नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र जगमालराम
2. कमलेश पुत्र जगमालराम
3. विमला पुत्री जगमालराम

} जाति समस्त जाट सकनाऐं नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

4. 4/1 अमृतपाल पुत्र लाभसिंह
   4/2 विन्दूकौर पुत्री लाभसिंह
   4/3 किरणाकौर पुत्री लाभसिंह
   4/4 अक्कीकौर पुत्री लाभसिंह
5. गुरतेज सिंह पुत्र ईशरसिंह
6. गैवोकौर पुत्री ईशरसिंह
7. 7/1 जसकरणसिंह पुत्र जसमेलकौर पत्नी नक्षत्रसिंह
   7/2 वलकरणसिंह पुत्र जसमेलकौर पत्नी नक्षत्रसिंह
8. गुडी पुत्री नक्षत्रसिंह
9. माडो पुत्री नक्षत्रसिंह
10. 10/1 मनीकौर पुत्री स्व. चरणजीतकौर पुत्री नक्षत्रसिंह
    10/2 गुलताजकौर पुत्री स्व. चरणजीतकौर पुत्री नक्षत्रसिंह
11. रानी पुत्री नक्षत्रसिंह
12. 12/1 मनप्रीतकौर पुत्री स्व. बन्सी पुत्री नक्षत्रसिंह
    12/2 मनजीतकौर पुत्री स्व. बन्सी पुत्री नक्षत्रसिंह
    12/3 राजदीपकौर पुत्री स्व. बन्सी पुत्री नक्षत्रसिंह
13. जसवीर कौर पत्नी अजायब सिंह (विलोपित)
14. जसकरणसिंह पुत्र अजायब सिंह
15. वलकरण सिंह पुत्र अजायब सिंह
16. निकासिंह पुत्र कहेर सिंह
17. 17/1 जगराजसिंह पुत्र स्व. हरनामसिंह पुत्र कहेरसिंह
    17/2 सुखदेवसिंह पुत्र स्व. हरनामसिंह पुत्र कहेरसिंह
18. 18/1 लखपतसिंह पुत्र भूरासिंह पुत्र कहेरसिंह
    18/2 जसवीरसिंह पुत्र भूरासिंह पुत्र कहेरसिंह
    18/3 गुडी पुत्री भूरासिंह पुत्र कहेरसिंह
    18/4 गावीकौर पुत्री भूरासिंह पुत्र कहेरसिंह
19. 19/1 जगरूपसिंह पुत्र अर्जनसिंह पुत्र कहेरसिंह
    19/2 किशनसिंह पुत्र अर्जनसिंह पुत्र कहेरसिंह
20. जगजीत सिंह पुत्र भानसिंह
21. गुरतेज सिंह पुत्र भानसिंह
22. श्रीराम पुत्र पूरन

} जाति समस्त जटसिख साकिन शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

23. बन्ताराम पुत्र पूरन
24. हेतराम पुत्र पूरन
25. बलराम पुत्र पूरन
26. कलावती पुत्री पूरन
27. मीज पुत्री पूरन
28. फुमन सिंह पुत्र साहबसिंह
29. 29/1 नायबसिंह पुत्र स्व. जोगेन्द्रसिंह पुत्र नथमलसिंह
29/2 नाजरसिंह पुत्र स्व. जोगेन्द्रसिंह पुत्र नथमलसिंह
29/3 कालासिंह पुत्र स्व. जोगेन्द्रसिंह पुत्र नथमलसिंह
30. 30/1 मेजरसिंह पुत्र स्व. दर्शनसिंह पुत्र नथमलसिंह
30/2 जालोरसिंह पुत्र स्व. दर्शनसिंह पुत्र नथमलसिंह
30/3 मंहगासिंह पुत्र स्व. दर्शनसिंह पुत्र नथमलसिंह
31. 31/1/1 जगसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह पुत्र स्व. कर्मसिंह पुत्र बजीरसिंह
31/1/2 टहलसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह पुत्र स्व. कर्मसिंह पुत्र बजीरसिंह
31/1/3 गुरदीपसिंह पुत्र जगराजसिंह पुत्र करतारसिंह पुत्र स्व. मुखत्यारसिंह पुत्र स्व. कर्मसिंह पुत्र बजीरसिंह
31/1/4 गुरजन्टसिंह पुत्र जगराजसिंह पुत्र करतारसिंह पुत्र स्व. मुखत्यारसिंह पुत्र स्व. कर्मसिंह पुत्र बजीरसिंह
31/1/5 सागरसिंह पुत्र सुखमन्दरसिंह पुत्र करतारसिंह पुत्र स्व. मुखत्यारसिंह पुत्र स्व. कर्मसिंह पुत्र बजीरसिंह
32. 32/1 जगरसिंह पुत्र गुरदयासिंह पुत्र स्व. निकासिंह पुत्र बजीरसिंह
32/2 वकीलसिंह पुत्र गुरदयालसिंह पुत्र स्व. निकासिंह पुत्र बजीरसिंह
32/3 भोलासिंह पुत्र गुरदयालसिंह पुत्र स्व. निकासिंह पुत्र बजीरसिंह
33. अमरसिंह पुत्र बजीर सिंह
34. 34/1 जसकरणसिंह पुत्र हरबंशकौर पत्नी हरनेकसिंह
34/2 बलकरणसिंह पुत्र हरबंशकौर पत्नी हरनेकसिंह
34/3 जगदेवसिंह पुत्र हरबंशकौर पत्नी हरनेकसिंह

जाति समस्त जटसिख साकिन शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

35. भारतीय स्टेट बैक (एडीबी) शाखा हनुमानगढ जरिये शाखा प्रबन्धक
36. स्टेट बैक ऑफ पटियाला शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक
37. ओ.बी.सी. बैक शाखा नगराना जरिये शाखा प्रबन्धक
38. भारतीय स्टेट बैक शाखा लीलावाली जरिये शाखा प्रबन्धक
39. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :– 03.05.2014

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री [illegible] जाखड़ अधिवक्ता वादी व श्री सुनील टाण्डी, श्री रविन्द्र भोबिया, श्रीमती परमजीत कौर अधिवक्ता [illegible] की उपस्थिति में वाद [illegible] वादी मय काउण्टर क्लेम आंशिक स्वीकार किया जाकर प्राथ[illegible] डिक्री दी जा[illegible] किया जाता [illegible] आराजी समस्त सह प्रति.सं. 34/1, 34/2 प्राथमिक डिक्री [illegible] के चक नं. 16 काश्तकारों का खाता विभाजन प्रस्ताव [illegible] सं. 192/183 जं.सं. 2070–73 एम.के.एस. खाता सं. 65/13, चक नं. 16 एम.के.एस. [illegible] 141/143 चक नं. 6 एन.जी.आर. खाता सं. 142/141 जं. चक नं. 6 एन.जी.आर. खाता सं. 141/143 चक नं. 6 एन.जी.आर. खाता सं. 142/141 जं. सं. 2068–71 के समस्त सह–काश्तकारो के हक–हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) एवं माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी

[illegible] कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:15 IST
Reason: SelfAttested

265

मंदी, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्त सह काश्तकारों विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा गिरदावर व स्वयं के हस्ताक्षरित कर अपनी अनुशंषा सहित रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को पत्र जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर दिनांक 03.6.24 तक पेश करें।

यह प्राथमिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.05.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:15 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक : रीडर / 24 / 97

दिनांक :- 6.5.24

तहसीलदार (राजस्व)
संगरिया

विषय :- दावा संख्या 268 / 2019 अनवान औमप्रकाश वगैरा बनाम रामकुमार वगैरा में प्राथमिक डिक्री दिंनाक 03.05.2024 विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के साथ दावा संख्या दावा संख्या 268 / 2019 अनवान औमप्रकाश वगैरा बनाम रामकुमार वगैरा में प्राथमिक डिक्री दिंनाक 03.05.2024 में समस्त सह खातेदारों के विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का निर्णय पारित किया गया है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.05.2024 की प्रति संलग्न है।

अतः आप राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 (राजस्व मण्डल) के नियम 18–21 की पालना करते हुए उक्त प्रकरण में समस्त सहखातेदारों के विभाजन प्रस्ताव तैयारकर तथा नजरी नक्शा में अलग–अलग दर्शाया जाकर अपने हस्ताक्षर सहित विभाजन प्रस्ताव आगामी तारीख 30.06.2024 से पूर्व भिजवाने की व्यवस्था करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:15 IST
Reason: SelfAttested

268

कार्यालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक : रीडर/24/ 97

दिनांक :– 6.5.24

तहसीलदार (राजस्व)
संगरिया

विषय :– दावा संख्या 268/2019 अनवान औमप्रकाश वगैरा बनाम रामकुमार वगैरा में प्राथमिक डिक्री दिंनाक 03.05.2024 विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के साथ दावा संख्या दावा संख्या 268/2019 अनवान औमप्रकाश वगैरा बनाम रामकुमार वगैरा में प्राथमिक डिक्री दिंनाक 03.05.2024 में समस्त सह खातेदारों के विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का निर्णय पारित किया गया है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.05.2024 की प्रति संलग्न है।

अतः आप राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 (राजस्व मण्डल) के नियम 18–21 की पालना करते हुए उक्त प्रकरण में समस्त सहखातेदारों के विभाजन प्रस्ताव तैयारकर तथा नजरी नक्शा में अलग–अलग दर्शाया जाकर अपने हस्ताक्षर सहित विभाजन प्रस्ताव आगामी तारीख 30.06.2024 से पूर्व भिजवाने की व्यवस्था करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:15 IST
Reason: SelfAttested

266

कार्यालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक : रीडर/24/ 97

दिनांक :- 6.5.24

तहसीलदार (राजस्व)
संगरिया

विषय :- दावा संख्या 268/2019 अनवान औमप्रकाश वगैरा बनाम रामकुमार वगैरा में प्राथमिक डिक्री दिंनाक 03.05.2024 विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के साथ दावा संख्या दावा संख्या 268/2019 अनवान औमप्रकाश वगैरा बनाम रामकुमार वगैरा में प्राथमिक डिक्री दिंनाक 03.05.2024 में समस्त सह खातेदारों के विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का निर्णय पारित किया गया है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.05.2024 की प्रति संलग्न है।

अतः आप राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 (राजस्व मण्डल) के नियम 18-21 की पालना करते हुए उक्त प्रकरण में समस्त सहखातेदारों के विभाजन प्रस्ताव तैयारकर तथा नजरी नक्शा में अलग-अलग दर्शाया जाकर अपने हस्ताक्षर सहित विभाजन प्रस्ताव आगामी तारीख 30.06.2024 से पूर्व भिजवाने की व्यवस्था करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 11:55:15 IST
Reason: SelfAttested